कुमारी शैलजा: सर, यह अभी कई सजेशन आने हैं । जो भी रिक्वेस्ट कमेटी के पास आएंगी, उन सबको देखेंगे और फाइनली उसपर डिसीजन लिया जाएगा कि उन सब में से कौनसा ठीक बैठता है।

मौलाना अब्दुल्ला खान आज़ाद: क्या लाटरी किया जाएगा उसके लिए ?

†मौलाना अबीदुल्लाह खान आज़मी: क्या लाटरी किया जाएगा ?

कुमारी शैलजा: डिसाइड किया जाएगा, सबको एग्जामिन करके ।

मौलाना अब्दुल्ला खान आज़ाद: किसी का कोई क्राइटेरिया रखा गया है क्या ?

†मौलाना अबीदुल्लाह खान आज़मी: किसी सूबे का कोई क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है क्या ?

कुमारी शैलजा: सिर्फ सूबे का क्राइटेरिया नहीं है, यह हाइली टैक्नीकल सब्जेक्ट है, तो कई चीजें इसमें आ जाएंगी ।

Allotment of DDA flats to repatriates/ migrants from Burma

*629. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Delhi Development Authority had implemented the Government sponsored scheme under which houses built by the DDA were allotted to the repatriates/migrants from Burma;

(b) whether the terms and conditions of allotment prohibited transfer of the allotted flats or creation of any other interest in the property without any specific approval of the DDA/Government;

(c) whether a number of flats thus allotted were sold/transferred/mortgaged by the allottees in violation of the terms and conditions of allotment;

(d) whether any inquiry has been conducted in the matter; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI P. K. THUNGAN): (a) Yes, Sir.

(b) The allotments made to the repatriates from Burma were subject to the provisions of the Delhi Development Authority (Management and Disposal of Housing Estates Regulations, 1968 which prohibit sale, transfer, assignment or otherwise parting with the possession of the whole or any portion of the property without the previous consent in writing of DDA.

(c) to (e) DDA has reported that the magnitude of irregular transfer of such houses has not been assessed. There is no practice in DDA of conducting survey or enquiries for detecting cases of unauthorised transfer of dwelling units. As and when, specific cases come to light, they are suitably dealt with.

SHRI JAGMOHAN: Sir, the answer itself is very extraordinary in that you impose the conditions, you just have the rules and then you say there is no machinery to ensure that these rules are implemented and if somebody brings the thief to the Government, they will look into that case. This is extraordinary. I can't understand this reply.

DR. BAPU KALDATE: What is the question left for you?

SHRI JAGMOHAN: The question left for me is...

†Transliteration in Arabic Script.

DR. BAPU KALDATE: Why have these rules at all?

SHRI JAGMOHAN: Yes. Why have these rules and regulations at all? It is an extraordinary reply. How can we accept that we have no method ... (*Interruptions*). And, this is also factually incorrect, Sir. There are various cells in the DDA—Vigilance Cell, Lease Branch, etc.—whose job it is to see to it that the lease conditions are fulfilled. Now, there is hardly anything left for me to ask in view of the total surrender that you have offered. But the point is, would you hold an inquiry through the CBI? Suppose these officials are also mixed up, they will never come to your notice at all. So, will you order a CBI inquiry to go into this matter? There is so much leakage of revenue; the Capital Gains tax and all those taxes are avoided. So, will you also say as to how much of illegal construction has been done in these flats, which were allotted by you? The conditions have entirely changed now. Will you give me an assurance that these three things will be looked into and that you will refer the matter to the CBI and the Revenue Intelligence and also the Construction Cell? There is a Land Cell, whose job it is to see to it that illegal construction does not take place and that there are...

MR. CHAIRMAN: You have made all your points. Hon. Minister please.

SHRI P. K. THUNGON: Sir, as you are aware and as the House is aware, the hon. Member is one of the experts on town planning and city planning...

SHRI JAGESH DESAI: Where is the question of his being an expert here? You give the reply.

SHRI P. K. THUNGON: I am giving my reply. Sir, he knows Delhi better than anybody else because he is an expert so far as Delhi is concerned. The hon. Member was also the Vice-Chairman of the DDA. He knows the style of functioning of the DDA and its defects, its merits annd also its demerits. .. (*Interruptions*).

SHRI JAGMOHAN: I Jam sorry, Mr. Minister. I did not know this type of functioning. I am not aware of it. (*Interruptions*).

DR. BAPU KALDATE: He has not replied to the question. Are you going to order the CBI inquiry into it or not?

SHRI P. K. THUNGON: I am coming to that. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: He is going to answer, I think.

DR. BAPU KALDATE: He is not answering, Sir. .. (*Interruptions*).

SHRI P. K. THUNGON: Sir, I am coming to that point. Keeping in view the expertise of the hon. Member on the subject, I feel this is certainly a very assurance? (*Interruptions*).

SHRI NILOTPAL BASU: Is this an assurance? (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The Minister, please.

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल): सर, डी० डी० ए० ने 2,52,164 एलॉटमेंट्स फ्लेटस के किए हैं 31-03-95 तक और यह एक बहुत बड़ा रिकार्ड है, डी०डी०ए० ने इसकी अभी कायदे से नहीं रखा है और जब जांच कराने के लिए कहा गया तो एक नमूने के तौर पर जो जांच करी गई तो 100 फ्लेट्स जो बनाए गए थे, जो कि अलॉट कर दिए गए हैं वर्मा रिपैट्रिएट्स को, तो उनमें मालूम पड़ा कि 10 जो थे वह सही थे 100 में से-1 तो ऐसा अंदाज होता है कि अगर हम इसकी एवरेज देखेंगे तो यह शायद 8,9 या 10 के करीब पड़ेगी और सरटेन कंडीशन्स के ऊपर यह फ्लेटस दिए गए थे डी० डी० ए० के कुछ रूल्स-रेगुलेशन्स के तहत ये दिए गए थे। उनमें यह है कि आप इसको बेच नहीं सकते हैं, आप चाहे तो इसे चेंज कर लें फ्रॉम लीज होल्ड टू फ्री होल्ड

..(**व्यवधान**)..

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, this is even more confusing.

SHRIMATI SHEILA KAUL: The whole thing is in such a way,

मैं आपको इसकी एक करेक्ट पिक्चर दे रही हूं... (व्यवधान) ...

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा

633. श्री अनन्तराम जायसवाल :
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सरकारी जमीन पर बढ़ रहे अवैध कब्जों को तत्काल रोकने तथा कब्जा कर ली गई सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अप्रैल, 1995 के "दैनिक जागरण" में "मंडावली की झुग्गियों में अग्निकांड का प्रतिफल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने सरकारी जमीन के सही उपयोग के लिए इस जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए क्या और कब कार्यवाही की है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विशेष सतर्कता दल बनाये गये हैं । प्रत्येक दल का प्रमुख एक अपर जिला मजिस्ट्रेट है और उसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

किसी अतिक्रमण की जानकारी/सूचना मिलते ही, स्थानीय एजेंसियों द्वारा पुलिस की मदद से संगत कानूनों के तहत जरूरी कार्रवाई की जाती है ।

अतिक्रमण की रोकथाम के लिए स्थानीय एजेंसियों ने फील्ड कर्मचारी तैनात किये हैं । सम्बन्धित भू-स्वामी एजेंसियों द्वारा अपनी-अपनी जमीनों की नियमित निगरानी भी की जाती है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1992–93, 1993–94 एवं 1994–95 में क्रमशः 284 एकड़, 859 एकड़ एवं 352 एकड़ भूमि अवैध कब्जों से छुड़ा कर हासिल करली है । दिल्ली छावनी बोर्ड एवं भूमि तथा विकास कार्यालय ने भी क्रमशः 937.55 वर्गमीटर एवं 1.544 एकड़ भूमि पुनः कब्जे में लेली है । वर्ष 1993–94 के दौरान, नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र में 11 झुग्गी झौंपड़ी समूहों को हटाया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि कुतबगढ़ सहकारी आवास समिति और मंडावली पुलिस चौकी के बीच मंडावली फाजलपुर में डी.डी.ए. भूमि पर एक पुरानी झुग्गी झौंपड़ी बस्ती आबाद है । यहां करीब 3 एकड़ भूमि पर 225 झुग्गियां और करीब 25 दुकान-खोखे हैं । दिनांक 20 अप्रैल, 1995 को कुछ ही सही 100 झुग्गियां जल गई थी प्रभावित परिवारों ने जले हुए खोखों के बदले सड़क के पास पक्की दुकानें बनानी शुरू कर दी थी । नई दुकानें बननी शुरू हुई थीं जिसे 23 से 15 1995 को पुलिस की मदद से रोक दिया अप्रैल, गया । जली हुई झुग्गियों की जगह पर उन्हें कच्चे-पक्के घर भी बनने शुरू हुए और 5 भी डी.डी.ए. ने बनने से रोक दिया । नव निर्मित दुकानों, मकानों और व्यवसायिक-खोखों को गिराने का कार्यक्रम 29 अप्रैल, 1995 एवं 16 मई, 1995 के लिए तय था किन्तु अपरिहार्य कारणवश कार्यक्रम पर अमल नहीं हो सका ।